बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 190573 पटना, दिनांक 02-07-2014

ग्रा० वि० - 5/सा० आ० जन० (प्रारूप प्रका०) - 103 - 09/2013

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों के निष्पादनोपरांत NICपर अपलोडिंग के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के प्रारूप सूची के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के उपरांत पात्र परिवारों का चयन कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है । अभी तक SECC के अंतर्गत Claims & Objection Tracking System (COTS) के तहत लगभग 65 लाख दावे/आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 28.00 लाख दावे / आपत्तियों का NICसर्वरपर अपलोड किया गया है तथा शेष दावे / आपत्ति अभी तक NICसर्वर पर अपलोडिंग के लिए लंबित है ।

2. SECC के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिले यथा सारण, वैशाली, सहरसा, बेगूसराय, बांका, खगड़िया, मधेपूरा में जिला पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर NIC पर दावे / आपत्तियों के अपलोडिंग हेतु अभूतपूर्व प्रयास करलगभग सभी दावे / आपत्तियों कोNICसर्वर पर प्रविष्टि कराने में सफल रहे, किन्तु अन्य जिलों में SECC के कार्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण दावे / आपत्तियों के निष्पादन एवं NIC सर्वर पर अपलोड किये जाने संबंधी कार्य में प्रगति नगण्य है ।

3. विभागीय पत्रांक 189710 दिनांक 26.06.14 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ECILके द्वारा पर्याप्त संख्या में दावे / आपत्तियों के अपलोडिंग हेतु कर्मी उपलब्ध नहीं कराने जाने की स्थिति में निजी वेंडर/ऑपरेटर का उपयोग करके भी इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाय । इस कार्य हेतु आवश्यक व्ययजिला ग्रामीण विकास अभिकरण में SECC मद में उपलब्ध किसी भी राशि से किया जाये । निधि के अनुपलब्धता की स्थिति में अविलंब राशि की मॉग विभाग से की जाये ।

4. SECC के लंबित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक हेतु निर्धारित मानदेय पर सेवा प्राप्त कर उनका उपयोग किया जा सकता है, किन्तु सभी जिला पदाधिकारी दिनांक 15.07.14 तक किसी भी परिस्थिति में प्रतिवेदित लंबित दावे / आपत्तियों का निष्पादन कर NICसर्वर पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य के ससमय निष्पादन हेतु जिलाधिकारी जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को प्रखंड आबंटित कर SECC के लंबित कार्यो को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर दिनांक-15.07.2014 तक निश्चित रूप से संपादित करने का निदेश दें । ग्रामीण विकास पदाधिकारीयों की सहायता हेतु इन्दिरा आवास योजना के तहत मानदेय पर नवनियुक्त सभी कर्मी (इन्दिरा आवास सहायक/पर्यवेक्षक, लेखा सहायक) की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

5. उक्त क्रम में ग्रामीण विकास पदाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उन्हे आबंटित प्रखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के वैसे सभी व्यक्तियों से, जिन्होंने SECCअंतर्गत COTS के तहत निर्धारित अवधि के दौरानSECC में नाम पर आपत्ति / सुधार/जोड़ने हेतु आवेदन नहीं दिया है, उनसे क्रमशः विहित प्रपत्र (A, Bएवंc) में आवेदन प्राप्त कर जॉचोपरान्त नियमानुसार SECC सूची में उनका नाम हटाने/सुधारने/जोड़ने की कार्रवाई दिनांक-31.07.2014 तक पूर्ण कर लेनी है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा ।

6. अतः सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है किउपरोक्त निदेशों का ससमय अनुपालन कर SECC से संबंधित लंबित कार्यो को निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सुपात्र परिवारों के चयन हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार से निर्गत पत्र की प्रति संलग्न की जाती है ।

विश्वासभाजन

2/7/14

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र06–विविध–49/13– 03 खाद्य, पटना/ दिनांक 01/01/14

प्रेषक

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त का निर्धारण

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 8136 दिनांक 27.12.2013 के प्रसंग में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य के पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना है । अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों में पात्र परिवारों के चयन करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान की गई है जिसके आलोक में विभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान हेतु निर्धारित मानक पर दिनांक 26.12.2013 तक आपति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं रखने का निर्णय लिया गया है :–

(क) ग्रामीण क्षेत्र

I. मोटर चालित तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/
Households owning motorized three/four wheelers
अथवा/OR

II. मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण/
Households owning mechanized three/four wheeler agricultural equipments .
अथवा/OR

III. सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार*/
Households with any member as Government Employee*
अथवा/OR

IV. सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार/
Households with non-agricultural enterprises registered with Government
अथवा/OR

V. परिवार का कोई सदस्य 10,000/– रूपये प्रति माह से अधिक कमाता है/
Households with any member earning more than Rs. 10,000 P.M .
अथवा/OR

VI. आयकर अदा करते है /
Households paying income tax
अथवा / OR
VII. व्यवसायिक कर अदा करते है /
Households paying professional tax
अथवा / OR
VIII. ऐसे कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे /
Households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof.
अथवा / OR
IX. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है /
Households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment
अथवा / OR
X. दो अथवा उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है /
Households owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons
अथवा / OR
XI. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है /
Households owning 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment.

(ख) शहरी क्षेत्र

I. तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान जो धारक के स्वामित्व में हो /
Households owning concrete roof three rooms (Self owned) and more
अथवा OR
II. निम्नलिखित सभी सामग्री / सम्पत्ति /
Households owning following assets :
a. दो पहिया वाहन / Two wheeler
b. रेफ्रीजरेटर / Refrigerator
c. वाशिंग मशीन / Washing Machine
अथवा OR
VI. चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर /
Households owning four wheeler or AC

2 शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की श्रेणी में शामिल किये जाने पर निर्णय लिया गया है :–

a. भिखारी / कूड़ा चुननेवाला / Beggar/Rag Picker
b. घरेलू श्रमिक Domestic Workers
c. फुटपाथी दुकानदार / मोची / फेरीवाला / गली--मुहल्ले में अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला /
Street vendor/cobbler/hawker/other service provider working on street

d. निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक / नलसाज / राजमिस्त्री / श्रमिक / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा पहरी / कुली एवं सिर पर बोझा उठाने वाले अन्य श्रमिक /
Construction worker / plumber / mason /labour/ painter/welder /security guard coolie and other head load worker

e. झाड़ूकश / सफाईकर्मी / माली / Sweeper/sanitation worker/mali

f. घरेलू कार्य मे संलग्न श्रमिक / शिल्पकार / हस्तशिल्प कर्मी / दर्जी /
Home based worker/artisan/handicraft workers/tailor

g. परिवहन कर्मी / चालक / परिचालक / खलासी / रिक्शाचालक /
Transport worker/driver/conductor/helper to drivers and counductors/ rickshaw puller

h. दुकान कर्मी / सहायक / अनुसेवक (छोटे स्थापन के लिए) / खलासी / डाक वितरण सहायक / परिचर / बैरा /
Shop worker/assistant/peon in small establishment/helper/delivery assistant / attendant/waiter

i. बिजली मिस्त्री / मैकेनिक / एसेम्बलर / मरम्मतकर्त्ता /
Electrician/mechanic/assembler/repair worker

j. धोबी / चौकीदार / Washer man/ chowkidar

3. शहरी क्षेत्रों मे खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु योग्य परिवारों को निम्नलिखित स्व–घोषणाएँ करनी होगी :–

i. परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो * /
No household member is in a Government job*

ii. परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई गैर कृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित न हो /
No household member has a Non-Agriculture enterprise registered with the Government

iii. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो /
No household member is paying income tax

iv. परिवार का कोई सदस्य पेशाकरदाता न हो /
No household is paying professional tax

v. परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह रू0 20,000/– से अधिक आय अर्जित नहीं करता हो /
No household member is earning an income more than Rs 20,000 per month

*सरकारी सेवा से तात्पर्य है – "केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकायें एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी"

अतः अनुरोध है कि राज्य के ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों में कराये जा रहे सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर प्राप्त परिवारों की अंतिम सूची में से उक्त निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में परिवारों की उक्त श्रेणी को शामिल/हटाकर (Inclusion/Exclusion) पात्र परिवारों की सूची विभागीय पत्रांक 8136 दिनांक 27.12.2013 में विहित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित करने की कृपा की जाए एवं आच्छादित जनसंख्या/परिवार की संख्या विभाग को उपलब्ध कराया जाए ।

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव
11.1.14